रेल अधिनियम के तहत माह फरवरी–2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :–

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	449	171549
138	9419	3882294
139	00	00
141	232	161775
142	00	00
143	03	2000
144	764	348510
145	193	23290
146	05	2500
147	905	160610
153	02	00
154	12	62500
155	327	42900
156	178	20000
157	00	00
159	219	26600
160	12	3500
161	00	00
162	594	87300
163	00	00
164	2	1000
165	2	1000
166	00	00
167	25	1600
172	01	00
173	00	00
174	09	5000
175	00	00
176	00	00
180&th	00	00
कुल योग	**13353**	**5003928**

रेल संपत्ति (वि.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत् माह फरवरी–2013 में पंजीकृत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
फरवरी–2013	19	39080	40	01	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी–2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
फरवरी–2013	20	19	54200	39080	40	01	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी–2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
फरवरी–2013	01	01	1650	4150	04	01	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी–2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
फरवरी–2013	19	18	52550	34930	36	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह फरवरी–2013के दौरान किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा

1- दिनांक 02.02.2013 को समय 16.34 बजे गाड़ी संख्या 51117 डाउन सलना स्टेषन में, गाड़ी संख्या 11448 अप की क्रासिंग हेतु सलना स्टेषन पर खड़ी की गई थी। गाड़ी संख्या 11448 अप को समय 17.10 बजे सलना स्टेषन से थ्रू पास सिग्नल दिया गया और समय करीबन 17.15 बजे गाड़ी सलना स्टेषन से पास होने के लिये आते दिखाई दी तो उसी समय गाड़ी संख्या 51117 डाउन के लगभग 30–35 पैसेंजर आक्रोषित होकर सलना स्टेषन से लाल झण्डी छीनकर मेन लाईन में आकर लाईन पर बैठ गये और कुछ खड़े हो गये जिनमें से एक व्यक्ति नाम शषांक पाण्डेय ने गाड़ी संख्या 11448 अप को लाल झण्डी दिखाने पर चालक आर. के. वाटव ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ा किया। उसी समय शषांक पाण्ड़ेय व अन्य व्यक्तियों ने गाड़ी के इंजन में पत्थर मारा जिससे इंजन का कांच टूट गया और चालक के उंगली में चोट आ गई तभी वहॉ ड्यिूटी पर तैनात आरपीएफ स्टाफ प्र.आर. राजनारायण मिश्रा एवं प्र.आर. रामलाल गर्ग द्वारा लालझण्डी दिखाने वाले शषांक पाण्ड़ेय को पकड़ लिया गया। इस घटना में उक्त दोनों गाड़ियों विलम्बित हुई तथा पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध रेसुब पोस्ट नई कटनी जं/अपराध क्रमांक 39/13 धारा 145, 146, 153, 147 रेल अधिनियम के तहत् दिनांक 03.02.2013 को पंजीकृत कर जाचं में लिया गया।

2- दिनांक 12/13.02.2013 को किमी नं. 991/6–7 अप साइड से सिग्नल विभाग की केबल चोरी की सुरागरसी के दौरान दिनांक 14.02.2013 को जबलपुर स्टेषन पुराने वाषिंग पिट नं. 04 के कटनी छोर पर एक व्यक्ति नाम राजेन्द्र पुत्र हीरालाल चौधरी, उम्र 30 वर्ष निवासी मकान नं. 783, दुर्गा मंदिर के पास, जबलपुर को उपनिरीक्षक जबलपुर षिषिर कुमार द्वारा हमराह स्टाफ के साथ पकड़ा गया, दौराने पूछतांछ उसने दिनांक 12/13.02.2013 को रेलवे यार्ड जबलपुर से केबल वायर को काटकर चोरी करने का अपराध स्वीकार किया एवं पास की झाड़ियों में एक प्लास्टिक की बोरी में केबल वायर एवं काटने का हथियार छिपाना बताया, बाद स्वयं उसे निकालकर समक्ष गवाहान पेष किया। जिसमें 12 कोर की केबल जिसकी कुल लम्बाई 07 मीटर एवं एक कुल्हाड़ी तथा सुम्मी (छेनी) थी जिसकी अनुमानित कीमत 520/–रुपयें आंकी गई। दिनांक 13.02.2013 को उपनिरीक्षक जबलपुर श्री मान सिंह द्वारा दर्ज स्थानीयकृत शीर्ष के अन्तर्गत अपराध क्रमांक श्रठच्ध्३ध्स्वब. 06ध्–ज्.01ध्13 व अपराध क्रमांक 06/13 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट में उसकी गिरफ्तारी शुमार की गई।

3- दिनांक 21.02.2013 को बारामाफी स्टेषन के पास से बरामद 10 बोरी सीमेंट अनुमानित कीमत 1650 रुपयें, जो मालगाड़ी से उतारी गई थी, दिनांक 24.02.2013 को दौराने सुरागरसी निरीक्षक सतना एवं सहायक उपनिरीक्षक सतना एस. आर. सिंह हमराह स्टाफ द्वारा 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्व रेसुब पोस्ट सतना अपराध क्रमांक 03/13 धारा 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट दिनांक 24.02.2013 को कायम कर जांच में लिया गया।

4- दिनांक 25.02.2013 उपनिरीक्षक जबलपुर ने मुखबिर खास की सूचना पर गाड़ी संख्या 13202 डाउन जनता एक्सप्रेस के जबलपुर स्टेषन आगमन पर प्लेटफार्म नं. 03 इटारसी छोर में हमराह स्टाफ के साथ 06 बाहरी महिलाओं को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 205 किलो सीएसटी–9 प्लेट के टुकड़े अनुमानित कीमत 4100/– रु. मिलें । जांच में उनके द्वारा पूर्व में भी चोरी कर कसाई मंड़ी स्थित कबाड़ी को बेचना स्वीकार करने पर उनके विरुद्व अपराध क्रमांक 07/13 धारा 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट दिनांक 25.02.2013 को कायम कर जांच में लिया गया। जिनके मेमोंरेण्डम के आधार पर दिनांक 26.02.2013 को एक रिसीवर कबाड़ी नफीस अहमद उर्फ नफ्फा कबाड़ी पुत्र हबीब उल्ला, उम्र 55 साल निवासी मकान नं. 1450, मंडी मदार टेकरी, रजा चौक, थाना हनुमानताल, जिला जबलपुर के निवास पर स्थित कबाड़ दुकान से 03 सीएसटी–9 प्लेट के टुकडे वजन करीबन 80 किग्रा अनुमानित कीमत 1600/– रु. जप्त किये गये, उक्त रिसीवर आरोपी कबाड़ी के मेमोंरेण्डम के आधार पर दिनांक 27.02.2013 को एक रिसीवर अफरोज खान पुत्र मोहम्मद सहबान खार, उम्र 21 साल निवासी 620/2 नसीमाबाद, चार खम्बा, थाना हनुमानताल जबलपुर स्थित कबाड़ दुकान से एक सीएसटी–9 प्लेट का टुकड़ा वजन 35 किग्रा, एक एसटी स्लीपर का टुकड़ा अनुमानित वजन 08 किग्रा व 05 नग सीएसटी–9 व एसटी स्लीपर के छोटे टुकड़े, अनुमानित वजन 10 किग्रा, 06 नग लोहे के पंजे अनुमानित वजन 06 किग्र, कुल अनुमानित वजन 59 किग्रा, कुल अनुमानित कीमत 1180/–रु. जप्त कर अपराध क्रमांक 07/13 धारा 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट में गिरफ्तारी शुमार की गई। मामले में मक्कू पुत्र जीमल, उम्र 55 साल निवासी मकान नं. 753, कसाई मंड़ी, थाना हनुमानताल, जबलपुर को वांछित घोषित किया गया।मामलें में जांच जारी है।

5- दिनांक 28.02.13 को रेसुबल थाना इटारसी के आरक्षक गंगासागर राय को एक नाबालिग लंडका लावारिस हालत में प्लेटफार्म पर घूमते मिला जिससे पूॅछताछ करने पर उसने अपना नाम दीपक मोरवानी पुत्र ष्याम मोरवानी उम्र 11 साल निवासी वार्ड नंबर 27 सिंधी कालोनी धर्मषाला गली इटारसी बताया तथा आगे बताया कि वह अपने घर से भागकर इटारसी रेलवे स्टेषन पर समय करीबन 19.30 बजे आया था जहा पर काफी

गाडियॉ आ जा रहीं थीं लोगों की काफी भीड होने के कारण उसे डर लगने लगा और वह रोने लगा, जिस पर आरक्षक गंगासागर राय द्वारा उसे रेलवे सुरक्षा बल थाना इटारसी में लाया और इसकी सूचना निरीक्षक रेसुब इटारसी श्री एस.के.बाजपेयी को दी गई, जिस पर निरीक्षक द्वारा बच्चे के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। उक्त सूचना पर लडके के पिता श्री श्याम मोरवानी रेसुब थाना इटारसी उपस्थित हुये जहॉ बालक एव पिता ने एक दूसरे को पिता पुत्र के रुप में पहचाना। उक्त सूचना निरीक्षक इटारसी द्वारा एसडीओपी इटारसी, थाना प्रभारी सिविल पुलिस इटारसी तथा जीआरपी इटारसी को भी अवगत कराया गया और उक्त नावालिक लडके दीपक मोरवानी को पाक साफ हालत में उसके पिता श्याम मोरवानी के सुपुर्द किया गया।

6- दिनांक 24.02.2013 को सउनि आर.के. मिश्रा मय स्टाफ दौराने गस्त भरतपुर के स्टेषन प्लेटफार्म नं0 4 पर गाडी सं012964 मेवाड एक्स0 के समय रात्रि में एक 5 साल की बच्ची नाम छाया निवासी गढ़वाह (झारखण्ड) को लावारिस हालत में घूमते हुए देखा। उसकी लेकर पोस्ट पर आये तथा उससे पूछने पर बताया कि वह अपने बुआं एवं फूफा के साथ उक्त गाडी से जा रही थी। सुबह थाने पर उक्त बच्ची के फूफा व बुआ आये बच्ची ने दोनो को पहचाना तथा पूछने पर उन दोनों ने बताया कि वह मय परिवार के राणाप्रताप नगर से मुगलसराय जाने के लिए मेवाड एक्सप्रेस से आये तथा उन्हें भरतपुर स्टेषन उतरना था, भीड की वजह से वह नही उतर पाये और बच्ची उतर गई, इस कारण बच्ची उनसे बिछड गई। बाद समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत बच्ची को सकुषल उनके सुपुर्द किया गया।

7- दिनांक 12.02.2013 को गाड़ी सं. 12951 डाउन राजधानी एक्सप्रेस के बी–10 कोच (बर्थ न. 57/60) में मुम्बई सेंट्रल से नई दिल्ली की यात्रा कर रही 02 लड़कियां नाम क्रमषः आरती उर्फ सन्ध्या पुत्र राठी कन्नौजिया उम्र–24 वर्ष, निवासी–षाष्त्री नगर, नई दिल्ली एवं सीमा पुत्री नागेन्द्रं उम्र–27 वर्ष, निवासी–रोहिणीनगर, नई दिल्ली के साथ गाड़ी में कुछ लडकों के द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की सूचना मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष/कोटा के माध्यम से निरीक्षक/रेसुब, कोटा पोस्ट श्री प्रताप सिंह को दी गई। निरीक्षक/रेसुब, कोटा पोस्ट द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गाड़ी के कोटा स्टेषन आगमन पर गाड़ी के उक्त कोच को स्टाफ के साथ अटेंड किया गया, साथ ही जाआरपी/कोटा के सहायक उपनिरीक्षक श्री लालूराम भी अपने स्टाफ के साथ उक्त कोच पर उपस्थित हुए। उक्त लड़कियों द्वारा रेसुब/जीआरपी से कोई बात नहीं किये जाने एवं सुरक्षा की मांग करने पर, निरीक्षक/रेसुब/कोटा पोस्ट द्वारा उक्त कोच के दोनों गेटों में सहायक उपनिरीक्षक/रेसुब/कोटा श्री देवीसिंह एवं आरक्षक प्रेमसिंह को तैनात कर गाड़ी को नियमित ठहराव के उपरांत स्टेषन से रवाना किया गया और गाड़ी विलम्बित नहीं हुई। निरीक्षक/रेसुब, कोटा पोस्ट द्वारा गाड़ी में तैनात रेसुब./स्टाफ से मोबाइल के माध्यम से लगातार सम्पर्क कर उक्त महिला यात्रियें की खैरियत रिपोर्ट ली गई। गाड़ी के नई दिल्ली स्टेषन पहुंचने पर उक्त दोनों लड़कियों के साथ रेसुब स्टाफ कोटा ने सबंधित लड़कों को पकड़कर जीआरपी थाना प्रभारी/नई दिल्ली, मीरा शर्मा के समक्ष ले जाया गया जहां लड़कों एवं उनके परिजनों द्वारा मॉफी मॉगने पर, दोनों पक्षों के मध्य जीआरपी थाना प्रभारी के समक्ष समझौता हुआ। रेलवे सुरक्षा बल/पमरे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए रेसुब स्कार्ट तैनात किया गया जिससे महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके व रेसुब की छवि बहेतर हो सके।

8. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 480 व्यक्तियों के विरुद्व **तम्बाकु अधिनियम** (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 96,000/–रू. का जुर्माना वसूल किया गया।